न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/55

भैरूलाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी, ग्राम रीछाहेडी तहसील, दीगोद जिला, कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैयालाल आत्मज श्री जगन्नाथ (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 1/1. राजाराम आत्मज स्व0 कन्हैयालाल जाति मीणा ।
   - 1/2. ओमप्रकाश आत्मज स्व0 कन्हैयालाल जाति मीणा ।
   - 1/3. मुकुट बिहारी आत्मज स्व0 कन्हैया लाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम रीछाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
   - 1/4. रामावतार आत्मज स्व0 कन्हैया लाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवली मांझी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
   - 1/5. विद्याबाई पुत्री स्व0 कन्हैयालाल जाति मीणा ।
   - 1/6. द्वारका बाई पुत्री स्व0 कन्हैयालाल जाति मीणा ।
   - 1/7. मनभर बाई पुत्री स्व0 कन्हैयालाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम रीछाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. धन्ना लाल आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम रीछाहेडी तहसील, दीगोद (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–
   - 2/1. राधेश्याम आत्मज धन्नालाल जाति मीणा ।
   - 2/2. सीताराम आत्मज धन्ना लाल जाति मीणा ।
   - 2/3. मुकेश आत्मज धन्ना लाल जाति मीणा ।
   - 2/4. सुशीला पुत्री धन्नालाल जाति मीणा ।
   - 2/5. कौशल्या पुत्री धन्ना लाल जाति मीणा ।
   - 2/6. शकुन्तला पुत्री धन्ना लाल जाति मीणा ।
   - 2/7. अनार बाई बेवा धन्नालाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम रीछाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. श्रीमती धन्नी बाई पुत्री श्री जगन्नाथ पत्नी श्री मथुरालाल जाति मीणा निवासी, ग्राम सीमली तहसील, मांगरोल जिला, बारां ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 1/1 से 1/7 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 कन्हैयालाल जरिये मुख्तार रामावतार ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एंव 188 के अन्तर्गत ग्राम रीछाहेडी की आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.94 हैक्टर, खसरा नम्बर 274 रकबा 2.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 278 रकबा 2.19 हैक्टर कुल किता 08 रकबा 6.49 हैक्टर तथा ग्राम सुरेला की आराजी खसरा नम्बर 547 रकबा 1.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 555 रकबा 1.80 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 3.12 हैक्टर के सम्बन्ध में वाद पेश किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 3 का राजस्व रिकॉर्ड में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है जबकि वादी का 1/3 हिस्सा है तथा वे 1/3 हिस्से पर ही काबिज काश्त है । प्रतिवादी क्रम 1व 2 का भी वादग्रस्त आराजी में 1/3 –1/3 हिस्सा है । उक्त भूमि में प्रतिवादी क्रम 03 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । प्रतिवादी क्रम 03 का केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से वे उक्त भूमि अनुचित फायदा उठाना चाहते हैं । पक्षकारान मीणा ज़ाति के सदस्य हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू नहीं होता है । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि दोनों ग्रामों की वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी क्रम 03 का नाम विलोपित किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.09.2010 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए ग्राम सुरेला की आराजी में प्रतिवादी क्रम 3 का नाम विलोपित करते वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को खातेदार घोषित करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया । तत्पश्चात् परीक्षण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री के आधार पर दिनांक 07.12.2010 को अंतिम डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.09.2010 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07.12.2010 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 02 भैरूलाल ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 101/2011 प्रस्तुत की । भैरूलाल के अलावा तीन अन्य और अपीलें न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई थी जिनका न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.09.2012

के द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.09.2010 को निरस्त करते हुए पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः प्रारम्भिक डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपने निर्णय दिनांक 12.12.2015 के द्वारा विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की तथा प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.10.2021 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.10.2021 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 02 अपीलान्ट भैरूलाल ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई, जवाबहेही एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है । पक्षकारान के मध्य पूर्व में ही आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा हो चुका था तथा पक्षकार उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । परीक्षण न्यायालय ने खसरा नम्बर 236 की रकबा 0.40 हैक्टर भूमि जो कि अन्य के कब्जे काश्त में है व विभाजन प्रस्ताव में दर्ज कर दी । अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को ग्राम रीछाहेडी एवं अमरपुरा पंचायत की समस्त पत्रावलियों में आगामी दिनांक 10.03.2022 नियत की गई तथा उक्त दिनांक को जब अपीलान्ट एवं उनके अभिभाषक कोर्ट में उपस्थित हुए तब मालूम हुआ कि उक्त पत्रावली में निर्णय हो चुका है । उसके पश्चात् अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.03.2022 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय में ग्राम रीछाहेडी एवं ग्राम सुरेला की आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 28.09.2010 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 07.12.2010 को अंतिम डिक्री पारित की गई तथा पक्षकारान के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में 04 अपीलें पेश की गई थी जिनका निर्णय दिनांक 28.09.2012 को पारित करते हुए चारों अपीलें परीक्षण न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया था कि पक्षकारान से जवाब साक्ष्य आदि लेकर पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश पारित किया । परन्तु परीक्षण न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्देशों की पालना किये बिना दिनांक 27.10.2021 को अंतिम डिक्री पारित कर

दी गई जबकि परीक्षण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 28.12.2021 को 04 पक्षकारों के हस्ताक्षर करवाकर आदेशिका में अंतिम डिक्री जारी करने का आदेश दिया गया है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई, जवाबदेही एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य पूर्व में आपसी सहमति से विभाजन हो गया था और उसी अनुसार वे अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । वस्तुतः विभाजन प्रस्ताव कब बना व उसके आधार पर जारी अंतिम डिक्री की उसे जानकारी ही नहीं हुई । परीक्षण न्यायालय ने राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना किये बिना अंतिम डिक्री पारित की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2012 की पालना में परीक्षण न्यायालय में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 12.12.2015 को पक्षकारान की सहमति के आधार पर वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी क्रम 03 का नाम विलोपित कर प्रारम्भिक डिक्री पारित की तथा प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री पारित करने के आदेश पारित किये । उक्त प्रारम्भिक डिक्री में जिसकी अपीलान्ट द्वारा किसी भी न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की गई है । उक्त प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर दिनांक 12.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किये । उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई और अपने निर्णय दिनांक 27.10.2021 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की गई है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.10.2021 बहाल रखा जावे । जो तिथि में अंतर है वह मात्र लिपिकीय त्रुटि है ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 प्रदर्श– 1 के अनुसार ग्राम रीछाहेडी की भूमि कन्हैयालाल, धन्नालाल, भैरूलाल पुत्र जगन्नाथ, धन्नी पुत्री जगन्नाथ कौम मीना के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 प्रदर्श– 2 के अनुसार ग्राम सुरेला की आराजी खसरा नम्बर 547 एंव 555 कन्हैयालाल, धन्नालाल, भैरूलाल पुत्र जगन्नाथ धन्नी पुत्री जगन्नाथ जाति मीणा के नाम खातेदारी में दर्ज है ।

14. वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय में ग्राम रीछाहेडी एवं ग्राम सुरेला की आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 28.09.2010 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 07.12.2010 को अंतिम डिक्री पारित की गई तथा पक्षकारान के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में 04 अपीलें पेश की गई थी जिनका निर्णय दिनांक 28.09.2012 को पारित करते हुए चारों अपीलें परीक्षण न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया था कि पक्षकारान से जवाब साक्ष्य आदि लेकर पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश पारित किया । परीक्षण न्यायालय में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने आदेश दिनांक 12.12.2015 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित । तत्पश्चात् दिनांक 12.112021 को विभाजन हेतु पक्षकारान तहसील में उपस्थित होना कथन करते हुए अपीलान्ट भैरूलाल के अनुपस्थिति का कथन करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अंतिम डिक्री पारित की है ।

15. हमने विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया । उक्त विभाजन प्रस्ताव में अंकित किया गया है कि "प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.12.2015 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु जरिये नोटिस सभी पक्षकारान को दिनांक 01.11.2021 को प्रशासन गॉव के संग कैम्प ग्राम पंचायत अमरपुरा में उपस्थित होने हेतु सूचित किया । बाद सूचना दिनांक 01.11.2021 को पक्षकार भैरूलाल अनुपस्थित रहा है ।" परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में कोई नोटिस संलग्न नहीं है जिससे साबित हो कि परीक्षण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई एवं आपत्ति प्रस्तुत करने के नोटिस जारी किये गये हैं और उक्त नोटिस पक्षकारान को तामील हुए हों । परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर केवल उल्लेखित किया है परन्तु साक्ष्य स्वरूप तामीलशुदा नोटिस संलग्न नहीं किये हैं ।

16. तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार प्रशासन गॉवों के संग अभियान के अन्तर्गत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अमरपुरा में दिनांक 01.11.2021 को उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया जिसमें अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज की गई । तत्पश्चात् अपीलान्ट दिनांक 12.11.2021 को भी अनुपस्थिति अंकित है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.11.2021 के अनुसार पत्रावली अंग्रिम कार्यवाही हेतु कैम्प जालिमपुरा में पेश होने का अंकन किया है। परीक्षण न्यायालय में अंतिम डिक्री में दिनांक 27.10.2021 अंकित है जबकि आदेशिका में दिनांक 27.12.2021 को अंग्रिम कार्यवाही अंकित किया गया है और दिनांक 28.12.2021 को कैम्प कोर्ट जालिमपुरा में अंतिम डिक्री जारी करना परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.12.2021 अंकित किया गया है । उपर्युक्त रिकॉर्ड यथा निर्णय की दिनांक व माह 27.10.2021 एंव 28.12.2021 में अंतर है आ रहा है, यह अंतर क्यों आ रहा है स्पष्ट नहीं किया है । साथ ही कहीं पर भी यह सिद्ध या स्पष्ट नहीं है कि प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति का अवसर मिला या नहीं ? पूर्व में भी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2012 स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है कि "अपीलान्ट को जवाब एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए सुनवाई कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।" इस प्रकार न्यायालय हाजा ने भी स्पष्ट आदेश दिये थे परन्तु फिर भी परीक्षण न्यायालय ने प्रक्रियात्मक त्रुटि की गई । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति करने का अवसर नहीं दिया गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि विभाजन

प्रस्ताव पर आपत्ति का अवसर दिया जाना चाहिए । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का कथन तो यह है कि उन्हें विभाजन प्रस्ताव की कभी कोई जानकारी ही नहीं है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका में निर्णय 28.12.2021 को निर्णय पारित किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि अपीलाधीन निर्णय की तारीख दिनांक 27.10.2021 अंकित की गई है जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि दिनांक व माह दोनों में अंतर है । स्वयं परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 12.12.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित की थी जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि "पक्षकारान को नोटिस जारी कर पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारे के सरकारी नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें ।" उपर्युक्त स्थिति में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे परन्तु परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अंतिम डिक्री पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27.10.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारान को सुनवाई एंव आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए, पत्रावली प्राप्ति के 90 दिवस के अन्दर विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.07.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 10.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा